दिल्ली सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली

कार्यालय महानिदेशक (कारागार) : दिल्ली

कारागार मुख्यालय : नियर लाजवंती गार्डन चौक, जनक पुरी : नई दिल्ली -64

अपीलकर्ता	:	बंदी हरीश चन्द्र पुत्र श्री सत्य नारायण
आर.टी.आई कम्र संख्या	:	डायरी न॰ 8334 दिनांक 14/11/2022
अपील कम्र संख्या	:	01 दिनांक 09/01/2023

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-(10) द्वारा प्रदान किये गये ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 और प्रथम अपील का अवलोकन किया। अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-(10) के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञापन पर असंतुष्टि दर्ज की है।

फाइल पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या- (10) के द्वारा प्रदान किये गये ज्ञापन तथा संलगित दस्तावेजों में प्रश्न संख्या 1 व 2 में मांगी गई सूचना को वर्गीकृत नही किया गया है जबकि प्रश्न संख्या 3 में दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं है।

अत: जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-10 को आदेश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अपीलकर्ता को मांगी गई सूचना को प्रश्नानुसार प्रदान करें।

तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।

8/2/23

उप महानिरिक्षक कारागार ( )/
प्रथम अपीलीय अधिकारी

बंदी हरीशचन्द्र पुत्र श्री सत्यनारायण

F10(3476489)/ID-**Appeal General**/CJ/Legal/2023/814-15 Dated: 08-02-2023

आवश्यक सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

1. जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-10, रोहिणी, नई दिल्ली-110089.